

देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान

बांग्लादेशियों पर नकेल जारी

एजेंसी | नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया। इस बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। देर रात जारी सूची में सात पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण शामिल हैं। इसके अलावा 113 पद्म श्री पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की घोषणा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। सिन्हा को कला, खेरर को सार्वजनिक मामलों और सुजुकी को कारोबार-उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इनके अलावा पद्म विभूषण पाने वालों में दुखुर नागेश्वर रेड्डी (मेडिसिन), कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया व लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम (कला), एमटी वासुदेवन नायर (मरणोपरांत) (साहित्य-शिक्षा) शामिल हैं। इनके अलावा ए सूर्य प्रकाश, रामबहादुर राय (साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता), अनंत नाग व जतिन गोस्वामी, नंदमुरी बालकृष्ण, पंकज उधास (मरणोपरांत), एस अजित कुमार, शेखर कपूर, शोभना चंद्रकुमार (कला), जोस चाको पेरियाप्पुरम (मेडिसिन), कलाशा नाथ दीक्षित (पुरातत्व), नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, पंकज पटेल (कारोबार एवं उद्योग), पीआर श्रीजेश (खेल), साध्वी ऋतभरा (सामाजिक कार्य), विनोद धाम (विज्ञान और इंजीनियरिंग) को पद्मभूषण प्रदान किया गया है। बिबेक देवराय को साहित्य और शिक्षा तथा सुशील मोदी व मनोहर जोशी (सार्वजनिक मामलों) के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है।

पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं

पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। सूची में 10 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के व्यक्ति शामिल हैं। वहीं, 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसमें भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा (मरणोपरांत), जस्टिस (सेवानिवृत्त) जगदीश सिंह खेरर और सुजुकी कंपनी के ओएसएम सुजुकी (मरणोपरांत) बिबेक देवराय, सुशील मोदी और मनोहर जोशी (मरणोपरांत) के नाम शामिल हैं।

बीते साल 132 पद्म पुरस्कारों का हुआ था ऐलान

इससे पहले पिछले साल राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी थी, इनमें पांच पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री शामिल थे। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं थीं। पद्म सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह तीन श्रेणियों - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं।

139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार

शारदा सिन्हा समेत सात को पद्म विभूषण

19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री का भी ऐलान



पद्म पुरस्कार

इन्हें मिला पद्मश्री

वहीं गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली लीबिया लोबो सरदेसाई, पश्चिम बंगाल के दूक वादक गोकुल चंद्र डे (57), महिला सशक्तीकरण की मुखर समर्थक सैली होलकर (82), राजस्थान की लोकगायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरजा भट्टा, हिमाचल प्रदेश के हरिमन शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भावेश, कुवैत के योग टीचर शेख एजे अल खवा और ब्राजील के वेदांत गुरु जोनास मैसेट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

पीएम मोदी ने दी बधाई

पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सम्मानित लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई! भारत को उनकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करने और उनका जश्न मनाने पर गर्व है। उनका समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरणादायक है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवाचार का पर्याय है, जिसने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वे हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की

● SIA टीम का किया गठन

● बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट से मिलेगा सुराग

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जो राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी की जांच करेगा। एसआईटी इसमें अवैध अप्रवासियों के एंगल से जांच करेगी। राज्य में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की आमद बढ़ने की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल दत्ता कराले करेंगे। महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु के कम से कम एक साल उनके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं।

'दो लाख बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए किया आवेदन'

किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 के बीच अकोला शहर की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा ही 269 विलंबित जन्म पंजीकरण जारी किए गए थे, लेकिन तहसीलदार ने 4,849 विलंबित जन्म आवेदनों को पंजीकृत करने का आदेश दिया था। इसी तरह यवतमाल में 11,864, नागपुर में 4,350 आवेदन देरी से किए गए। सोमैया ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में दो लाख बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है।

नौ बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध प्रवास का आरोप

डीबीडी संवाददाता | पालघर

महाराष्ट्र के पालघर जिले में सात महिलाओं समेत नौ बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी नालासोपारा के धानिबवाग के गंगडी पाडा इलाके से शुकवार को की गई। इस बारे में विचार के पुलिस उपायुक्त

यात्रा या पहचान दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के हकीमपुर गांव से भारत में प्रवेश कर मुंबई पहुंचे थे और फिर पालघर में बस गए। गिरफ्तार किए गए लोग एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे थे।

पोल्ट्री पक्षियों के नमूनों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं

एजेंसी | लातूर

महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में बर्ड फ्लू से 60 से अधिक कौबों की मौत के कुछ दिनों बाद, पोल्ट्री फार्म, चिकन केंद्रों और ऐसे प्रतिष्ठानों से एकत्र किए गए पक्षियों के नमूनों में घातक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पशुपालन उपायुक्त डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा, 'बर्ड फ्लू के कारण कौबों की मौत के बाद, अधिकारियों ने अन्य पक्षियों के 48 नमूने एकत्र किए और उन्हें परीक्षण के लिए पुणे की एक प्रयोगशाला में भेजा था। शुकवार को प्राप्त परिणामों के अनुसार इन सभी नमूने में संक्रमण नहीं था।'

भंडारा आर्दिनेस फैक्टरी ब्लास्ट जांच के लिए समिति का हुआ गठन

एजेंसी | भंडारा

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आयुध निर्माण में शुकवार को भीषण विस्फोट हुआ था। शनिवार को इस हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि श्रम उपायुक्त (केंद्रीय) नागपुर की जांच समिति सोमवार से अपनी जांच शुरू करेगी।

8 लोगों को हुई थी मौत

भंडारा के जवाहर नगर इलाके में स्थित कारखाने में हेक्स (हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स) सब-डिवीजन में लो टेम्परेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स (एलटीपीई) इमारत संख्या 23 में शुकवार सुबह करीब 10.40 बजे ब्लास्ट हुआ था। इसमें 8 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए।

भारत आएगा मुंबई हमले का गुनहगार

● तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ

● अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले (26/11) के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मामले में उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया है। भारत लगातार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, क्योंकि वह 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित था। यह राणा के लिए भारत को प्रत्यर्पित न किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था।

मुंबई हमले में मारे गए थे 175 लोग

26 नवंबर, 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। तब समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए पाकिस्तानी आतंकीयों ने ताज होटल समेत 6 जगहों पर हमले किए थे। हमले में विदेशी नागरिकों समेत 175 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई सैकड़ों घायल हुए थे। 4 दिनों तक तक चले आतंकवादी अभियान के बाद सुरक्षाबलों ने 9 आतंकीयों को मौके पर ही मार गिराया था। इसी तरह एक जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने 26/11 हमलों को लेकर 405 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें राणा का नाम शामिल है। उस पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटरलिजेंस (ISI) और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव होने का आरोप है। आरोपपत्र के मुताबिक, राणा ने हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का समर्थन किया था, जिसने हमलों से पहले रेकी की थी। राणा को मुंबई हमले के कुछ महीने बाद शिकागो में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने गिरफ्तार किया था।

राणा ने याचिका में क्या दी थी सफाई?

9वें सर्किट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील के फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका में राणा ने तर्क दिया था कि उसे इलिनोइस (शिकागो) के उत्तरी जिले में संघीय अदालत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित आरोपों पर मुकदमा चलाया गया और बरी कर दिया गया। उसमें कहा गया है कि भारत अब शिकागो मामले में समान आचरण के आधार पर आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए उसे प्रत्यर्पित करना चाहता है। अमेरिकी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोगर ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में राणा की याचिका को खारिज करने को लेकर दलीलें दी थी। उन्होंने कहा कि राणा को इस मामले में भारत प्रत्यर्पण से राहत पाने का अधिकार नहीं है। सरकार यह नहीं मानती कि जिस आचरण के आधार पर भारत प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, वह इस मामले में सरकार के अभियोजन द्वारा कवर किया गया था।

संविधानाच्या मार्गावर चालू; लोकशाही अधिक बळकट करु!

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री

एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री

अजित पवार उपमुख्यमंत्री

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री

www.mahasamvad.in

MaharashtraDGIPR

MahaDGIPR

माहिती व जनसंपर्क महासंघचालनालय, महादपट्ट, धामन

DGIPR-2024-25/5903

न्यूज़ ब्रीफ

डीआर थापा फिर से बने सिक्किम भाजपा के अध्यक्ष

गंगटोक। डीआर थापा को फिर से सिक्किम भाजपा का अध्यक्ष चुना गया है। शनिवार को हुए संगठनात्मक चुनावों में उन्हें सर्वसम्मति से 2024-2027 के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया सिंगताम स्थित राज्य भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, और इसकी घोषणा चुनाव अधिकारी वी मुरलीधरन ने की, जो भाजपा के पूर्वोत्तर सह-समन्वयक भी हैं। वहीं, नरेंद्र कुमार सुब्बा को भी सर्वसम्मति से 2024-2027 के लिए राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। भाजपा की राज्य इकाई ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा, 'यह निर्णय सिक्किम के राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी के विकास और प्रभाव को आगे बढ़ाने में थापा की क्षमता पर पार्टी का विश्वास दर्शाता है।'

तेलंगाना में आंशिक रूप से जला हुआ महिला का शव बरामद

हैदराबाद। हैदराबाद में लगभग 25-30 साल की महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के पास मेडचल में एक पुलिसिया के नीचे आंशिक रूप से जला हुआ महिला का शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतका शादीशुदा थी। महिला के हाथ पर तेलुगु में 'श्रीकांत' और अंग्रेजी में 'नरेंद्र' का टैटू बना हुआ पाया गया है। शव नवन अवस्था में मिला और उसे जलाने से पहले उसके कपड़े उस पर डाल दिए गए। सिर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई। अपराधियों ने महिला की पहचान छिपाने के लिए शव पर केरोसिन या पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

किच्चा सुदीप ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लेने से किया इनकार

बेंगलुरु। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने वार्षिक फिल्म पुरस्कारों में 'पेलवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वह पुरस्कार लेना छोड़ चुके हैं। यह पुरस्कार किसी ऐसे कलाकार को मिले जिसने दिल लगाकर काम किया हो तो मुझे बहुत खुशी होगी।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को किया संबोधित

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि, 'हममें से प्रत्येक को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे का मुकाबला करने के प्रयासों में योगदान देना चाहिए। इस संबंध में दो अनुकरणीय पहल की गई हैं। वैश्विक स्तर पर, भारत एक जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, जिसे पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल कहा जाता है, ताकि व्यक्तियों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया जा सके।'

FIITJEE के मालिक सहित 12 के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में कई कोचिंग सेंटरों के अचानक बंद होने के बाद FIITJEE के संस्थापक डीके गोयल और 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटरों के अचानक बंद किये जाने से छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। नोएडा के पुलिस उपायुक्त (DCP) रामबदन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र रचते हुए छात्रों से विश्वासघात करने के आरोप लगे हैं।

मुडा मामला

27 जनवरी को होनी है सुनवाई

एजेंसी | बेंगलुरु

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी से जुड़े मुडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत को रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट 27 जनवरी को होने वाली अदालत की सुनवाई से पहले प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि रिपोर्ट को पहले 26 जनवरी को पेश किया जाना था, लेकिन 25 जनवरी

लोकायुक्त पुलिस ने विशेष कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट



भाजपा ने उठाए थे सवाल

साथ ही भाजपा ने शुक्रवार को मीडिया में आई उन खबरों के मद्देनजर मुडा घोटाले में लोकायुक्त जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जिनमें कहा गया है कि लोकपाल की पुलिस शाखा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम और उनके पत्नी के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी यहां एक विशेष अदालत के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस की तरफ से दर्ज मामले में आरोपी हैं।

को शनिवार और अदालत की छुट्टी होने के कारण लोकायुक्त पुलिस ने रिपोर्ट 24 जनवरी को ही प्रस्तुत कर दी।

एक नजर पूरे मामले पर

मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50:50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। यह योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी। जिसे 2020 में उस वकत की भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। सरकार की तरफ से योजना को बंद करने के बाद भी मुडा ने 50:50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। मामले में आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री की पत्नी की तीन एकड़ और 16 गुंठ भूमि मुडा की तरफ से अधिग्रहित की गई। इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गईं। मैसूर के बाहरी इलाके में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार स्वरूप दी थी।

कोर्ट ने स्वीकारी व्लोजर रिपोर्ट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ 1.3 करोड़ रुपये की रिश्वत का मामला खारिज हो गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ अपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने सिद्धारमैया से जुड़े मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की दायर व्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि मामला भाजपा के एक नेता की ओर से लगाए गए आरोपों पर आधारित था।

कांग्रेस विधायक बालाकृष्णन गिरफ्तार

एजेंसी | वायनाड



कांग्रेस विधायक आई.सी. बालाकृष्णन को वायनाड जिला कांग्रेस कमिटी के पदाधिकारी एन.एम. विजयन को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार दो दिन की पूछताछ के बाद बालाकृष्णन की गिरफ्तारी दर्ज की गई, लेकिन अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। इससे पहले, वायनाड जिला कांग्रेस कमिटी (DCC) के अध्यक्ष एन.डी. अण्णाचन और डीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष के.के. गोपीनाथन को मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।

9 जनवरी को दर्ज हुआ था मामला कलपेट्टा की मुख्य सत्र अदालत ने बालाकृष्णन को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि उन्हें 23 जनवरी से तीन दिनों के लिए पूछताछ के वास्ते उपस्थित होना होगा। पुलिस ने बालाकृष्णन और तीन अन्य लोगों पर विजयन और उनके बेटे की मौत के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नौ जनवरी को मामला दर्ज किया था।

उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा UCC

एजेंसी | देहरादून

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने वाली है। खबर है कि 27 जनवरी से उत्तराखंड में UCC लागू हो जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। 27 जनवरी को ही दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UCC के पोर्टल की शुरुआत भी करेंगे मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी है।

56 पदकों से सम्मानित हुए BSF जांबाज



एजेंसी | नई दिल्ली

'राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम पंक्ति' के रूप में भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले 'विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल' बीएसएफ के कर्तव्य परायण एवं निष्ठावान सदस्यों को विभिन्न पदकों से नवाजा गया है। जवानों और अधिकारियों के विभिन्न कर्तव्यों के दौरान उनके द्वारा प्रदर्शित अनुपम साहस और शौर्य के साथ ही उनकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के सम्मान में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'गणतंत्र दिवस-2025' के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व कार्मिकों को 56 पदकों द्वारा सम्मानित किया गया है।

एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ीं

गाजियाबाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

एजेंसी | गाजियाबाद

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए हैं। अपर सिविल जज



की कोर्ट ने कप्लेन केस में BNSS की धारा 173(4) के तहत नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला ?

दरअसल नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज FIR में वादी और गवाह सौरभ गुप्ता ने गाड़ी का पीछ कर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। गाजियाबाद पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर सौरभ गुप्ता ने कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब एल्विश किसी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हों। वह पहले भी तमाम मामलों में पुलिस और कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 में जब पुलिस ने HiBox एप्लीकेशन के जरिए गारंटीड रिटर्न देने के मामले में निवेशकों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था, तब भी एल्विश चर्चा में आए थे। दरअसल गिरफ्तार आरोपी, निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कई इनफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से इस ऐप में निवेश करने के लिए ऐड भी करवाता था। इसी के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और यूट्यूबर्स को भी नोटिस जारी किया था। इनमें यूट्यूबर्स/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा के नाम शामिल थे।

CELEBRATE REPUBLIC DAY WITH NEW BEGINNINGS AND SPECIAL DEALS!

1 BHK ₹ 37.50 LACS* ONWARDS

2 BHK ₹ 52.50 LACS* ONWARDS

SPECIAL OFFER !!
MODULAR KITCHEN ON EVERY SPOT BOOKING

FEW INVENTORY LEFT NEARING POSSESSION

8007300046 | Chetna Pipeline Road, Kalyan East
MaharERA Registration No. P51700031570

VIJAYGROUP Excellence Living

SURE JARI MARI Residency

A destination that captures the essence of **Style & Success**

1 & 2 BHK STARTING FROM ₹ 43.99 L*

Onward

Happy Republic Day

5 MIN FROM VITHALWADI STATION

10 MIN FROM KALYAN STATION

WALKABLE WALKABLE

Yoga Area | Jogging Track | Open GYM | Gazebo | Children Play Area | Parking

BOOK NOW
www.vijaygroups.in

7400195472

P5170007749

क्यों बंद हुए कोचिंग सेंटर ?

कोचिंग सेंटरों के अचानक बंद होने का कारण कर्मचारियों को वेतन भुगतान न किया जाना है। इसके कारण कई शिक्षकों को इस्तीफा देना पड़ा है। प्रतियोगी इंजीनियरिंग परीक्षाओं की कोचिंग कराने वाले FIITJEE के भारत भर में 73 केंद्र हैं। अभिभावकों का आरोप है कि फीस जमा कराने के बाद भी संचालकों ने अचानक केंद्र बंद कर दिए। पूर्वी दिल्ली के एक अभिभावक ने बताया कि उन्होंने दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 5.4 लाख रूपय फीस भरी है। नोएडा और गाजियाबाद में फिटजी केंद्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गाजियाबाद केंद्र उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के संचालित होता पाया गया। एक पूर्व FIITJEE शिक्षक ने अनियमित वेतन भुगतान के कारण इस्तीफा देने की पुष्टि की है। उनका 5 महीने का वेतन अभी भी बकाया है। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि एक अन्य कोचिंग संस्थान ने FIITJEE के शिक्षकों को अपने यहां भर्ती कर लिया है।